

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 27/2021-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 जून, 2021

सा.का. नि... (अ) – केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: --

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में, ----

(i) नियम 26 के उपनियम (1) में चौथे परंतुक में, "31 मई, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों, के स्थान पर, "31 अगस्त, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस नियम को मई, 2021 के 31वें दिन से लागू माना जाएगा।

(ii) नियम 36 के उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्न परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल, मई और जून 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और जून, 2021 या जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही, की कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।";

(iii) नियम 59 के उपनियम (2) में, पहले परंतुक के बाद, निम्न परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह मई 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, जून 2021 के पहले दिन से 28 वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/5/2021]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) की अधिसूचना संख्या 3/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 19 जून, 2017, सा.का.नि. 610(अ), के तहत और अंतिम संशोधित नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) की अधिसूचना संख्या 15/2021 - केंद्रीय कर, 18 मई, 2021, सा.का.नि. 333(अ), के तहत प्रकाशित गए गए थे।